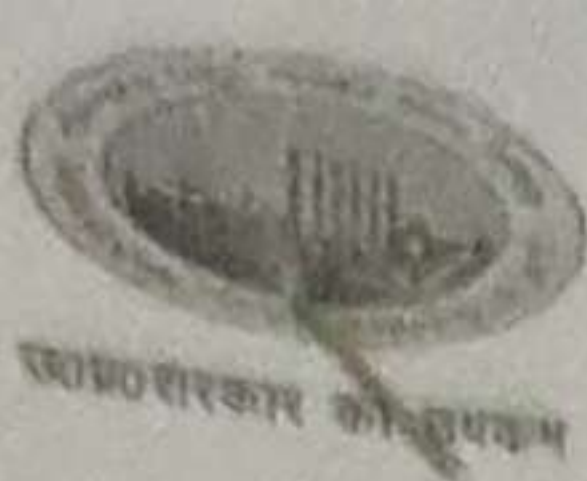




# विद्युत वितरण खण्ड

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

राजापुर चित्रकूट

पत्रांक 1727

/वि०वि०खण्ड/ 2023-24

दिनांक 11/07/2023

सेवा में

विषय-निजी नलकूप कनेक्शन प्राप्त करने हेतु (टी०सी०)

श्री KALPNARAYAN आरमज श्री RAJ BAHADUR ग्राम PACHOKHAR ब्लॉक PAHADI

आपके आवेदन पत्र दिनांक

04.07.2023-1008291622

के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपको नलकूप के लिए

8 HP HP/KW/KVA/BHP

तथा पंखा बत्ती के लिए शिरीज में 120 वाट की स्वीकृति दिनांक

11.07.2023

को प्रदान कर दी गयी है।

1.सर्विस कनेक्शन चार्ज रुपया....

213353.00

2.सेवा

0.00

3.प्रतिगृति के रूप में (Security) निजी नलकूप रु०..

2400.00

पंखा बत्ती रु०.

100.00

4.मीटर शुल्क

0.00

5.अन्य...

0.00

6.कुल योग रु०...

215853.00

7.आपको नलकूप को कनेक्शन देने हेतु रु०.....

का व्यय भार निगम को वहन करना होगा जबकि निगम द्वारा इस मद से रु०.....

की ही स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8.आपको कनेक्शन के लिए निगम द्वारा निर्धारित 300 मीटर से अधिक लाइन पडने के कारण रु०.....का अधिक धन जमा करना होगा जो किसी भी परिस्थिति में वपस नहीं किया जायेगा।

9.मीटर निरीक्षण शुल्क को शासकीय कोष में 0043 विद्युत पर एवं शुल्क व 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क के

अन्तर्गत रु०.

5500

जमा करना होगा।

10.आपको आपके कनेक्शन के लिए स्वयं विधुत भंडार केंद्र चित्रकूट से अपने वहन द्वारा समान की ढुलाई करनी होगी समान ढुलाई के साथ स्वयं के व्यय पर लाइन निर्माण कराना होगा।

11.आपको अपना पम्प हाउस बनाने हेतु आवश्यक ईट बालू तथा सिमेन्ट का प्रबन्ध करना पडता है अतःउसी में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा आपनी लाइन व कनेक्शन हेतु भी देय होगी।

12.कनेक्शन हेतु लाइन व स्टेशन बनाने में जो मजदूरों की आवश्यकता पडेगी उसे भी आपको प्रबन्ध करना पडेगा।

नोट (1) क०सं० 6.7 तथा 8 के अन्तर्गत आपके द्वारा किए जाने वाले खर्च को आपके इस्टीमेट से कम कर दिया गया है तथा वह शत

(2) सीमेन्ट बालू तथा गिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे तथा ऐंगिल नल पोल तथा स्टेशन के लिए होगी जिनकी मात्रा

प्रति खम्भा.....सीमेन्ट 0.6 बोरी बालू 3 घन फीट गिट्टी 6 घन फीट

प्रति स्टेशन.....सीमेन्ट 0.3 बोरी बालू 1.5 घन फीट गिट्टी 3 घन फीट

(3) आपके कार्य करने के लिए.....मजदूरों की जरूरत होगी यदि आपको ऊपर लिखित शर्तें मान्य हों तो आप कृपया किसी दिवस में 10 बजे प्रातः से 12 बजे दोपहर तक दो गवाहों सहित इस कार्यालय में पधारकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें।

1.नाम जुडिशियल 100/-रु० का जनरल स्टाम्प तथा 1/-रु० का रसीदी टिकट (Revenue Stamp)

2.ऊपर लिखी राशि जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाइन चार्ज के रुपये की रसीद की छायाप्रति। 3.

एक फोटो प्रमाणित 4. निवास प्रमाण-पत्र

आपके कनेक्शन को बिजली तमी दी जायेगी जब आपका वायरिंग पुरा होगा और बी०एल०फार्म० और मीटर डिकलेशन फार्म (मीटर सुधारने के लिए ट्रेजरी चालान सहित) अधिशाषी/जूनियर इन्जीनियर के अगियन्ता के पास जमा कर दें तथा उनकी रसीद प्राप्त कर लें। यदि आप उपरोक्त शर्तें

इस पत्र के 30 दिनों के बाद पूरा नहीं करते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं और प्रकरण शुल्क 100/- रु० भी जब्त हो जायेगा।

पत्रांक: प्रतिलिपी:- आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक अगियन्ता विद्युत वितरण उपखण्ड/ग्रामीण उपखण्ड.....

2. खण्ड विकास अधिकारी

3. जिला विकास अधिकारी.....

4. अनुबन्ध लिपिक वि०वि० खण्ड.....

अधिशाषी अगियन्ता

अधिशाषी अगियन्ता